प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच, बांदा, बिजनौर, चित्रकूट, इटावा, हमीरपुर, कानपुरदेहात, मिर्जापुर, श्रावस्ती, अम्बेडकरनगर, फतेहपुर, गाजीपुर, लखनऊ, मऊ, मुरादाबाद एवं सुल्तानपुर।

पत्रांक :: 175 /वि0का0/2011–12 लखनऊ :: दिनांक :: 28 मार्च–2012

विषय **वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत विलेज हाट के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष सामान्य मद अनुदान संख्या–13 से राज्यांश की मैंचिंग धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

शासनादेश सं0–226/38–6–2012–32एसजीएसवाई/2011, दिनांक 26–03–2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत विलेज हाट के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–13 सामान्य मद के लिए हुई बजट व्यवस्था से भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश के रूप में रू0 45.00 लाख (रू0 पैंतालीस लाख मात्र) की धनराशि उक्त जनपदों को आवंटित करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है।

2. शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 45.00 लाख (रू0 पैंतालीस लाख मात्र) भारत सरकार द्वारा जनपदों को अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आबंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मॉग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उ0प्र0 शासन को भेजी जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए–0108–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के075/रा025–रा0)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में सामान्य मद अनुदान संख्या–13 में आपके जनपद को अब तक आवंटित की गयी धनराशि का प्रगामी योग संलग्न विवरण के कालम–4 में दर्शाया गया है।
8. जारी किये गये आदेशों की प्रतियॉ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग–6 तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।
9. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं0 188 पर कर ली गई है।

भवदीय,

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(अनुराग श्रीवास्तव)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :: 175 /वि0का0/2011–12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित जनपदों के परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय– नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–2।
9. राज्य योजना आयोग–1/2 उ0प्र0 शासन।
10. अनुसचिव ग्राम्य विकास अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन को उनके पत्र सं0–226/38–6–2012–32एसजीएसवाई/2011, दिनांक 26–03–2012 के संदर्भ में।
11. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
12. सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. उप सचिव (एस0जी0एस0वाई0), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :175/वि0का0/2011–12 दिनांक : 28 मार्च, 2012 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत विलेज हाट के निर्माण हेतु वर्ष 2011–12 में अनुदान सं0–13 सामान्य मद में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	बहराइच	2.813	164.633
2	बांदा	2.813	71.463
3	बिजनौर	2.813	39.123
4	चित्रकूट	2.813	81.613
5	इटावा	2.813	37.013
6	हमीरपुर	2.813	29.393
7	कानपुरदेहात	2.812	63.162
8	मिर्जापुर	2.813	203.153
9	श्रावस्ती	2.812	65.757
10	अम्बेडकरनगर	2.813	185.203
11	फतेहपुर	2.812	119.432
12	गाजीपुर	2.812	178.342
13	लखनऊ	2.812	110.082
14	मऊ	2.812	78.442
15	मुरादाबाद	2.812	33.352
16	सुल्तानपुर	2.812	209.252
State Total ::		45.000	

(रू0 पैंतालीस लाख मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

संख्या–226 / अड़तीस–6–2012–32एसजीएसवाई / 2011

प्रेषक,

राम सेवक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 26 मार्च, 2012

विषयः–**वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विलेज हाट के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रॉश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष सामान्य मद अनुदान संख्या–13 से राज्यॉश की मैचिंग धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–339 / एस.जी.एस.वाई.–वि.हा.–द्वि.कि. / ए.मा. से. / 2010–11 दिनांक 29 जुलाई, 2011 तथा पत्रांक–393 / एस.जी.एस.वाई.–वि.हा. –द्वि.कि. / ए.मा.से. / 2010–11 दिनांक 19 सितम्बर, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या–13 में हुई बजट व्यवस्था से विलेज हाट के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये केन्द्रॉश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष राज्यॉश की मैचिंग धनराशि रू0–45. 00 लाख (रूपये पैतालीस लाख मात्र) आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार विलेज हाट योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये जनपदों के संबंधित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र., लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(3) वित्तीय वर्ष 2011–12 में अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि रू0–45. 00लाख (रूपये पैतालीस लाख मात्र) में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जनपदों को तत्काल उपलब्ध करायी जाये, जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयंती

ग्राम स्वरोजगार/विलेज हाट योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(4) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(5) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है और उससे विचलन न हो।

(6) आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा सुसंगत नियमों/आदेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011 दिनांक 21 मार्च, 2011 एवं एतद विषयक निर्गत अन्य उत्तरवर्ती आदेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक अनुदान संख्या–13 के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक"2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0108–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के.75/रा. 25–रा.)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–2–221/दस–2012 दिनांक–25मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम सेवक)
अनु सचिव।

संख्या–224(1)/अड़तीस–6–2012–तददिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ.प्र., इलाहाबाद।
2. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, नवॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र. द्वारा–आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
7. ग्राम्य विकास अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग–3
8. राज्य योजना आयोग–1/2,
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राम सेवक)
अनु सचिव।

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच, बांदा, बिजनौर, चित्रकूट, इटावा, हमीरपुर, कानपुरदेहात, मिर्जापुर, श्रावस्ती, अम्बेडकरनगर, फतेहपुर, गाजीपुर, लखनऊ, मऊ, मुरादाबाद एवं सुल्तानपुर।

पत्रांक :: 176 /वि0का0/2011–12 लखनऊ :: दिनांक :: 28 मार्च–2012

विषय **वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत विलेज हाट के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष एससीएसपी मद अनुदान संख्या–83 से राज्यांश की मैंचिंग धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

शासनादेश सं0–78/26–ब.प्र.–32एसजीएसवाई/2011टीसी, दिनांक 25–03–2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत विलेज हाट के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–83 एससीएसपी मद के लिए हुई बजट व्यवस्था से भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश के रूप में रू0 44.999 लाख (रू0 चौवालीस लाख निन्यानबे हजार नौ सौ मात्र) की धनराशि उक्त जनपदों को आवंटित करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है।

2. शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 रू0 44.999 लाख (रू0 चौवालीस लाख निन्यानबे हजार नौ सौ मात्र) भारत सरकार द्वारा जनपदों को अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आबंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मॉग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उ0प्र0 शासन को भेजी जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए–0101–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के075/रा025–रा0)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में एससीएसपी मद अनुदान संख्या–83 में आपके जनपद को अब तक आवंटित की गयी धनराशि का प्रगामी योग संलग्न विवरण के कालम–4 में दर्शाया गया है।
8. जारी किये गये आदेशों की प्रतियॉ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग–6 तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।
9. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं0 189 पर कर ली गई है।

भवदीय,

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(अनुसंग श्रीवास्तव)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :: 176 /वि0का0/2011–12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित जनपदों के परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय– नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–2।
9. राज्य योजना आयोग–1/2 उ0प्र0 शासन।
10. संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन को उनके पत्र सं0–78/26–ब.प्र.–32 एसजीएसवाई/2011टीसी, दिनांक 25–03–2012 के संदर्भ में।
11. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
12. सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. उप सचिव (एस0जी0एस0वाई0), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : 176 / वि0का0 / 2011–12 दिनांक : 28 मार्च, 2012 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत विलेज हाट के निर्माण हेतु वर्ष 2011–12 में अनुदान सं0–83 एससीएसपी मद में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	बहराइच	2.813	164.623
2	बांदा	2.813	71.463
3	बिजनौर	2.813	39.123
4	चित्रकूट	2.813	81.613
5	इटावा	2.813	37.013
6	हमीरपुर	2.813	29.393
7	कानपुरदेहात	2.812	63.162
8	मिर्जापुर	2.813	203.153
9	श्रावस्ती	2.812	65.757
10	अम्बेडकरनगर	2.812	185.212
11	फतेहपुर	2.812	119.442
12	गाजीपुर	2.812	178.332
13	लखनऊ	2.812	110.082
14	मऊ	2.812	78.452
15	मुरादाबाद	2.812	33.352
16	सुल्तानपुर	2.812	209.252
State Total ::		44.999	

(रू0 चौवालीस लाख निन्यानबे हजार नौ सौ मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

संख्या–79/26–ब.प्र0–32एसजीएसवाई/2011टी0सी

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विलेज हाट के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रॉश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या–83 से राज्यॉश की मैचिंग धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–339/एस.जी.एस.वाई.–वि.हा.–द्वि.कि./ए.मा. से./2010–11 दिनांक 29 जुलाई, 2011 तथा पत्रांक–393/एस.जी.एस.वाई.–वि.हा. –द्वि.कि./ए.मा.से./2010–11 दिनांक 19 सितम्बर, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वंरोजगार योजनान्तर्गत एस0सी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या–83 में हुई बजट व्यवस्था से विलेज हाट के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये केन्द्रॉश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष राज्यॉश की मैचिंग धनराशि रू0–44.999 लाख (रूपये चौवालीस लाख निन्यान्बे हजार नौ सौ मात्र) आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार विलेज हाट योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये जनपदों के संबंधित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र., लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(3) वित्तीय वर्ष 2011–12 में अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि रू0–44.999लाख (रूपये चौवालीस लाख निन्यान्बे हजार नौ सौ मात्र) में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जनपदों को तत्काल उपलब्ध करायी जाये, जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार/विलेज हाट योजनान्तर्गत केन्द्रांश की

धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(4) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि समर्पित कर दीं जायेगी।

(5) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है और उससे विचलन न हो।

(6) आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा सुसंगत नियमों/आदेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक "2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–789–अनूसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के.75/रा.25–रा.)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–3–283/दस–2012 दिनांक 21 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–78 (1)/26–ब.प्र.–2012–तददिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ.प्र., इलाहाबाद।
2. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, नवॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र. द्वारा–आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
7. ग्राम्य विकास अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग–3
8. राज्य योजना आयोग–1/2,
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।